छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 08/05/2013

क्रमांक एफ :– राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक–निजी भागीदारी नीति (पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप पॉलिसी) के अंतर्गत् "पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति" (P.P.P.A.C.) का निम्नानुसार गठन करता है :–

(i)	मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
(ii)	अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त एवं योजना विभाग	–	सदस्य
(iii)	प्रमुख सचिव/सचिव, विधि विभाग	–	सदस्य
(iv)	सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग	–	सदस्य
(v)	संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव	–	सदस्य सचिव
(vi)	परियोजना से संबंधित विशेषज्ञ	–	विशेष आमंत्रित

2. "पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति" (P.P.P.A.C.) के निम्नानुसार कार्य होंगे :–

a) संबंधित विभाग द्वारा अनुशंसित पी.पी.पी. परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करना।

b) नोडल एजेंसी (संबंधित विभाग) द्वारा प्रस्तुत विभागीय प्रतिवेदन की समीक्षा करना।

c) वित्तीय सहायता तय करना और परियोजनाओं के लिए आकस्मिक देयताओं (contingent liabilities) के आंबटन को मंजूरी।

d) अप्रार्थित (suo-motu) या स्वीस चैलेंज के अंतर्गत प्रस्तावों के परिमान एवं क्षेत्र का अनुमोदन तथा यदि आवश्यक हो, गैर वित्तीय प्रकृति के संशोधन की अनुशंसा करना।

e) परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को हल करना।

f) परियोजना की मंजूरी के लिए समय सीमा निर्धारित करना।

g) समय–समय पर स्वीकृति (clearances) की स्थिति की समीक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि स्वीकृति दर्शाये गये समय–सीमा के अनुरूप हो रही है। यदि स्वीकृति समय–सीमा के अंदर नही हो रही है या मना कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति की व्यवस्था करना।

h) प्रयोक्ता शुल्क आरोपित करने संबंधी मामलों में निर्णय लेना जिसके अंतर्गत प्रयोक्ता शुल्क के निर्धारण, पुनरीक्षण, संग्रहण एवं विनियमन करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण तथा इससे संबंधित विवादों का निराकरण करना।

Scanned with CamScanner

i) नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना।

j) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शासन, सरकारी संस्था और स्थानीय प्राधिकरण के मध्य समन्वय करना।

k) परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन पर पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।

l) समय–समय पर फीस, लेवी, टोल और अन्य शुल्क एवं उनके संग्रहण की प्रक्रिया का निर्धारण करना।

m) दुरुपयोग (abuse) और प्रदूषण संबंधी शुल्क विकासकर्ता (developer) पर आरोपित एवं संग्रहित करना।

3. पी.पी.पी.ए.सी. की बैठक हर त्रैमास में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार उपरोक्त विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित की जाएगी। राज्य शासन के स्तर की प्रत्येक पी.पी.पी. परियोजना, यहां तक की जहां पूंजी अनुदान की आवश्यकता नही है, उसकी स्वीकृति भी पी.पी.पी.ए.सी. से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/-

(नारायण)
संयुक्त सचिव
तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक एफ 244/वित्त/व-4/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 08/05/2013

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, विधि विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
4. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, छ.ग. शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ... छ.ग. शासन, मंत्रालय नया रायपुर। (शासन के समस्त विभाग)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

Scanned with CamScanner